- यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो कानून अनुसार संशोधन किया जायेगा।

योजना से ग्राम पंचायत को लाभ

- संपत्ति रजिस्टर तैयार होने से ग्राम पंचायत की स्थायी आय की व्यवस्था होगी।
- ग्राम पंचायत को गांव के सम्पत्ति धारकों की जानकारी समग्र आई.डी. में अद्यतन रहने से ग्राम विकास की योजना बनाने में सुविधा होगी।
- ग्राम पंचायत की संपत्ति, शासकीय व सार्वजनिक संपत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल निश्चित होने से उनका रखरखाव किया जा सकेगा और उनसे संबंधित सीमा विवाद में कमी आयेगी।
- प्रत्येक संपत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल सुनिश्चित होने से निजी सम्पत्ति के विवाद कम होंगे।

योजना से ग्रामवासियों को लाभ

- हर संपत्ति धारक को संपत्ति का प्रमाण-पत्र एवं भूमिस्वामित्व प्राप्त होगा।
- ड्रोन के माध्यम से कार्य होने के कारण दस्तावेजों का निर्माण शीघ्रता एवं शुद्धता के साथ होगा।
- सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का संरक्षण होगा।
- रास्ते, ग्राम पंचायत की खुली जगह, नाले, सरोवर का उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा।
- संपत्ति का सरकारी दस्तावेज प्राप्त होने से मकान पर बैंक से ऋण लेना आसान होगा।
- आबादी क्षेत्र का भू-मापन पूर्णत: पारदर्शी होगा और हर एक संपत्ति धारक को उनका अधिकार दस्तावेज प्राप्त होगा।

ड्रोन सर्वे कार्य के समय ग्रामवासियों का सहयोग ▶▶▶

- ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आबादी क्षेत्र के भू-मापन की प्रक्रिया एवं उससे होने वाले फायदों की जानकारी प्राप्त करें।
- ग्राम पंचायत सचिव एवं पटवारी को अपनी संपत्ति, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नम्बर, समग्र आई.डी. आदि की जानकारी दें जिससे अधिकार दस्तावेज में सही जानकारी आ सके।
- ऐसे व्यक्ति जिनकी गांव में संपत्ति है और वे गांव से बाहर रहते हैं उनको इस सर्वे के बारे में जानकारी दें और उनके मोबाइल नंबर पटवारी अथवा पंचायत सचिव को उपलब्ध करायें।
- किसी सम्पत्ति के विषय में यदि कोई विवाद किसी न्यायालय में चल रहा है तो उसके बारे में जानकारी दें।
- ड्रोन से सर्वे नये सिरे से होने के कारण सम्पत्ति धारक मौके पर आपसी सहमति से चूना लाइन डालकर अपने विवादों को पूर्ण रूप से हल करें।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

ग्रामीण आबादी सम्पत्ति सर्वेक्षण अभियान

आपकी सम्पत्ति के अधिकार का सरकारी दस्तावेज अब आपके पास

राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश के गांवों के आबादी क्षेत्रों में सम्पत्ति सर्वेक्षण अभियान प्रारंभ किया है। भारत सरकार की 'स्वामित्व योजना' के अंतर्गत शुरू किये गये इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नक्शे के आधार पर सम्पत्ति के मालिकाना हक का सरकारी दस्तावेज तैयार करना है। गांवों का आबादी नक्शा तैयार करने का काम ड्रोन कैमरे के प्रयोग से किया जा रहा है। इस योजना से जहां ग्रामीण लोगों की संपत्ति का सरकारी रिकार्ड तैयार होगा, वहीं ग्राम पंचायतों को सम्पत्तियों की स्पष्ट और सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। ग्रामीण रहवासियों को अपनी संपत्ति के हक का सरकारी दस्तावेज उपलब्ध होने से उन्हें अपनी सम्पत्ति बेचने में आसानी होगी और वे बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा का लाभ भी ले सकेंगे।

> ग्रामीण विकास प्रदेश की प्रगति में कितनी अहम भूमिका रखता है इससे हमारी सरकार भली-भांति परिचित है। यही कारण है कि गांवों की समग्र तरक्की हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। 'स्वामित्व योजना' का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश के गांवों में बुनियादी अधोसंरचना के सुनियोजित विकास के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बल देगा।
>
> **गोविन्द सिंह राजपूत**
> मंत्री, राजस्व विभाग

ड्रोन सर्वेक्षण के पूर्व की तैयारी

- आबादी सर्वेक्षण के लिए निश्चित दिन से एक दिन पहले सर्वे कार्य की जानकारी गांववासियों को देने के लिए सार्वजनिक मुनादी करायी जायेगी।
- पटवारी आबादी भूमि की बाह्य सीमा को चूना या चूने के घोल के माध्यम से मौके पर चिन्हित करेंगे।
- सम्पत्ति के साथ लगे खुले क्षेत्र की सीमायें संबंधित संपत्ति मालिक से चूना या चूने के घोल से चिन्हित कराई जायेगी।
- संपत्ति की सीमायें चिन्हित करते समय यदि कोई विवाद पैदा होता है तो ग्राम स्तरीय समिति के सहयोग से उसे हल किया जायेगा।

- शासकीय, सार्वजनिक उपयोग की ग्राम पंचायत की संपत्ति एवं विभिन्न विभाग की संपत्तियों का चिन्हांकन।

पात्रता

- आबादी का सर्वेक्षण कर केवल उन संपत्तियों के अधिकार का दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिनके मालिक मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संशोधित) लागू होने की दिनांक 25.09.2018 को उस आबादी भूमि का उपयोग कर रहे थे या जिन्हें इस दिनांक के पश्चात् विधिपूर्वक आबादी भूमि में भूखण्ड का आवंटन किया गया।

घर-घर जाकर सर्वेक्षण

- पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव और कोटवार, घर-घर जाकर सम्पत्ति अधिकार के दस्तावेज में प्लाट की जानकारियाँ भरेंगे।
- हर प्लाट का उपयोग करने वाले परिवार के मुखिया का नाम सम्पत्ति अधिकार के दस्तावेज में लिखा जायेगा।
- अधिकार के दस्तावेज के रखरखाव के लिए समग्र आई.डी. का उपयोग प्राथमिकता से किया जायेगा। मोबाइल नम्बर, ई-मेल या आधार नम्बर जैसी व्यक्तिगत जानकारियां भी संकलित की जायेगी।
- जिन लोगों की समग्र आई.डी. नहीं होगी पंचायत से उनकी समग्र आई.डी. जारी करवा कर जानकारी भरी जायेगी।
- यदि एक प्लाट में एक से अधिक परिवार रहते हैं तो हर परिवार के मुखिया का नाम आपसी सहमति से उनके हिस्से का उल्लेख करते हुए अधिकार दस्तावेज में दर्ज किया जायेगा।

दावा आपत्ति

सहायक सर्वेक्षण अधिकारी ग्रामवासियों से प्राप्त दावे/आपत्तियों की जांच और सुनवाई करेंगे। जांच हेतु निम्न कार्यवाही की जायेगी :

- सूचना पत्र में तय दिनांक को सम्पत्ति अधिकार दस्तावेज में दर्ज प्रविष्टियों को सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा उपस्थित व्यक्तियों को पढ़कर सुनाया जाएगा और प्रविष्टियों की जांच की जायेगी।
- यदि संबंधित व्यक्ति प्रविष्टि का ठीक होना स्वीकार करते है और कोई अन्य व्यक्ति उस पर आपत्ति नहीं उठाता है, तो उसकी स्वीकारोक्ति टिप्पणी के खाने में दर्ज कर ली जाएगी और प्रविष्टि को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

Scanned with CamScanner